

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 33/2022

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. नरसिंह राम पुत्र पुखराज जाति चौधरी निवासी करमावास समदड़ी जिला बाड़मेर (मैसर्स केसरी किराणा स्टोर समदड़ी बाड़मेर का मालिक)
2. सदीक खां पुत्र कासम खां निवासी मजल सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स सुमरो गृह उद्योग मजल सिवाना जिला बाड़मेर का मालिक एवं प्रोप्राईटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006



उपस्थिति :-


1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नरपतसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।



आदेश

दिनांक : 27.09.2022


1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान मैसर्स केसरी किराणा स्टोर समदड़ी बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 22.07.2021 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर मजल (500 ग्राम) के पैकेट एक कट्टे में भरे हुए, को मिलावट का होने के शक मानुसार कुल दो किलो हल्दी पाउडर मजल (500 ग्राम) वास्ते नमूना क्र  जाकर


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

नमूना संख्या पी-1377 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर मजल (500 ग्राम) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर मजल (500 ग्राम) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी को सुनवाई के प्रत्येक अवसर पर समुचित मौका दिये जाने के बावजूद अपना प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 03.08.2021 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी संख्या 2 को सुनवाई के प्रत्येक अवसर पर समुचित मौका दिये जाने के बावजूद अपना प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के लिए अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं करना मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य





न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(उम्मेद सिंह रतनू)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर